न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री कनिष्क कटारिया, आई.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्री अमरा पुत्र श्री जेता, जाति ग्रासिया, निवासी गांव टुंका (देलदर)		श्री लसमा उर्फ लक्ष्मणराम पुत्र श्री अमरारम, जाति ग्रासिया , निवासी गांव काछोली, तहसील पिण्डवाड़ा व अन्य – 1

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92ए,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद 41 / 2021

दिनांक 19 / 10 / 2022

–: निर्णय :–

वादी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92ए,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया गया कि मौजा ग्राम देलदर, पटवार हल्का देलदर में निम्न खसरा नम्बरान व क्षेत्रफल की कृषि भूमि स्थित है :–

खसरा नम्बरान	क्षेत्रफल बीघा में
1344	08–00
1381 / 5	01–02
कुल किता 02	कुल रकबा 09–02 बीघा

उक्त कृषि भूमि को वाद में आगे चलकर विवादित कृषि भूमि कहा व लिखा गया है। यह कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की अन्य कृषि भूमि जिसमें वादीगण के आवासीय मकानात बने हुए है तथा सिचांई हेतु कुंआ खुदा है , वह भूमि तथा पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि को वादी द्वारा आरम्भ से ही एक चक किया हुआ है और सम्पूर्ण भूमि के चारो ओर कदीमी बाड़ लगी हुई है। इस प्रकार वादी की संपूर्ण भूमि मय विवादित भूमि के एक चक खेत के रूप में सुरक्षित बाड़ से सुरक्षित की हुई है। और इस भूमि में वादी पूर्वजो के समय से लगभग 70 वर्षो से लगातार कृषि कार्य बिना किसी बाधा के भौतिक कब्जे में रहते हुए करता रहा है और अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण लगातार करता चला आ रहा है। जिसका पूर्ण ज्ञान संपूर्ण ग्राम वासियों एवं प्रतिवादी सं. 01 को आरम्भ से ही है। यह कि वादी को हल्का पटवारी से संपर्क कर राजस्व रेकर्ड की जानकारी लेने पर प्रथम बार ज्ञात हुआ कि उसके नाम अमरा पुत्र जेता के स्थान पर भूलवश किसी अमरा पुत्र नवा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है तब वादी ने गांव के मौजुज लोगो को इकट्ठा कर पंचायती की, तब प्रतिवादी संख्या 01 ने यह स्वीकार किया कि उसका इस भूमि से कोई लेना देना नही है, यह भूमि वादी की ही है। यह कि लगभग 40–45 वर्ष पूर्व हल्का पटवारी ने वादी को पद संख्या 01 में वर्णित भूमि आवंटित / नियमन करवाने का कहकर प्रार्थना पत्र पर वादी के अंगुष्ठ निशान लिये थे। वादी गरासिया जाति का आदिवासी, अनपढ़ कृषक है। तत्कालीन हल्का पटवारी ने भूलवश वादी के पिता के नाम जेता के स्थान पर नवा अंकित कर दिया था, क्योंकि नवा पुत्र साजा, जो वादी का रिश्ते में चाचा [illegible] का प्रभावशाली व्यक्ति था और वह वादी के साथ ही निवास करता था जिस [illegible] हल्का पटवारी ने वादी के पिता का नाम जेता के स्थान पर नवा अंकित कर दिया [illegible] आवटन / नियमन में लिपिकीय भूलवश अथवा नामान्तरकरण [illegible] पुत्र जेता के स्थान [illegible] पुत्र नवा गरासिया का नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज कर दिया [illegible] था, जबकि वास्तव में आ[illegible] प्रार्थना पत्र वादी द्वारा ही दिया गया था। इस कारण आवंटित भूमि पर वादी विधिवत बतौर खातेदार काबिज काश्त है। यह कि जब तथाकथित अमरा पुत्र नवा एवं प्रतिवादी सं. 01 द्वारा विवादित भूमि पर कभी कृषि की ही नही गई तो ऐसी स्थिति में उसके नाम जारी खातेदारी अधिकार भी आरम्भत: अवैध व शुन्य है। यह कि हल्का पटवारी ने मौका निरीक्षण कर अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.27 11:45:53 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट बनाई। वक्त मौका निरीक्षण हल्का पटवारी ने विवादित भूमि के आस पड़ौसियों को बतौर मौतबिर विवादित भूमि पर बुलाये और पूछताछ कर नाप जोख कर अपनी जांच एवं मौका रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 01 को ग्राम काछोली का निवासी होना व उसका कभी भी ग्राम देलदर में निवास करना नही पाया तथा वादी का ही कब्जा काश्त अमरा पुत्र नवा के स्थान पर विवादित भूमि पर होना एवं वर्तमान में ही वादी का ही कब्जा होना पाया। यह कि वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित विवादित कृषि भूमि का तथाकथित अमरा पुत्र नवा के नाम आवंटन/नियमन को निरस्त घोषित कर आवंटन/नियमन को अमरा पुत्र जेता के नाम होना घोषित करने वादी को विवादित कृषि भूमि का खातेदार घोषित करने एवं विवादित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में से प्रतिवादी संख्या 01 का दर्ज नाम हटाकर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा हेतु यह वाद पेश किया गया है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करें। प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि पद सं. 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। कि वादी की कृषि भूमि , प्रतिवादी संख्या 01 की कृषि भूमि से लगती हुई अवश्य है, परन्तु एक चक नही है एवं संपूर्ण भूमि के चारो ओर वादी की कोई कदीमी बाड़ नही की हुई है। कि प्रतिवादी संख्या 01 की उक्त कृषि भूमि पर वादी या उसके पूर्वज कभी काबिज नहीं रहे तथा प्रतिवादी संख्या 01 अपने पूर्वजो के समय से बिना किसी बाधा व उजर ऐतराज के कृषि कार्य करता चला आ रहा है। कुछ वर्षो पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 अपनी पारिवारिक रंजिश के कारण अपनी उक्त पैतृक कृषि भूमि को छोड़कर सहपरिवार गांव काछोली चला गया था, जिसकी अनुपस्थिति का अनुचित फायदा उठाकर वादी ने उसकी कृषि भूमि से लगती हुई प्रतिवादी की खुली पड़ी कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। यह कि प्रतिवादी सं. 01 का पिता अमरा पुत्र नवा गांव देलदर में अपने पूर्वजो के समय से निवास करता आ रहा था एवं मृत्यु पर्यन्त तक देलदर में निवास कर उक्त विवादित कृषि भूमि पर खेती कर अपना व अपने परिवार का लालन पालन किया। अमरा पुत्र नवा की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत एवं राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियों द्वारा नियमानुसार पूर्ण जांच कर प्रतिवादी संख्या 01 की नाम बतौर उत्तराधिकारी स्व. अमरा का पुत्र होने के नाते उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण दर्ज किया गया था। जिसकी पूर्ण जानकारी वादी को थी। कि वादी ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 01 को नुकसान पंहुचाने की गरज से उसे सूचना दिये बगैर उसकी गैर मौजुदगी में केवल वादी के हितबद्ध गवाहो के झुठे बयानों के आधार पर पद संख्या 01 में वर्णित मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की है, जो विधि सम्मत नही होकर पूर्णतया अवैध शुन्य एवं प्रभावहीन है। कि प्रतिवादी संख्या 01 की उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि हड़प करने के दुराशय से असत्य मनघढंत तथ्यों के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज योग्य है। जवाब सरकार द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि मौजा देलदर जमाबंदी 2074—2077 के खाता सं. 424 ख.न. 1344, 1381/5 रकबा क्रमशः 8.00, 1—02 कुल रकबा 9.02 लसमा पुत्र अमरा कौम गरासिया सा.देह के नाम दर्ज है।

दिनांक 10.10.2019 को साक्ष्य वादी पी डब्ल्यु —1 श्री अमरा पुत्र जेता का शपथ पत्र पेश हुआ जिस पर दिनांक 17.02.2021 को जिरह कर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 04.03. 2022 को साक्ष्य वादी पी डब्ल्यु – 2 श्री [illegible] का शपथ पत्र पेश हुआ जिस पर दिनांक 16.03.2022 को जिरह कर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 04.03. 2022को साक्ष्य वादी पी डब्ल्यु – 3 श्री [illegible] का शपथ पत्र पेश हुआ जिस पर दिनांक 16.03.2022 को जिरह कर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 16.03.2022 को वकील वादी द्वारा साक्ष्य बंद करवाने से साक्ष्य वादी बंद की गई। दिनांक 01.04.2022 को साक्ष्य प्रतिवादी डी डब्ल्यु – 1 श्री लसमा उर्फ लक्ष्मणराम पुत्र अमराराम का शपथ पत्र पेश हुआ जिस पर दिनांक 29.04.2022 को जिरह कर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 29.04. 2022 को डी डब्ल्यु – 2 श्री सांकला पुत्र नवा का शपथ पत्र पेश हुआ जिस पर दिनांक .06. 07.2022 को जिरह कर शामिल मिसल किया गया। दिनांक 06.07.2022 को प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्य बंद करवाने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.27 11:45:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य वादी पी डब्ल्यु – 1, पी डब्ल्यु – 2, पी डब्ल्यु – 3 के बयानों एवं साक्ष्य प्रतिवादी डी डब्ल्यु – 1, डी डब्ल्यु – 2 के बयानों का गहनता से अवलोकन किया एवं वकील पक्षकारान की सुनी गई बहस पर भी मनन तथा अन्य नये दस्तावेजो को ध्यान में रखते हुए निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार पारित किया जाता है :–

1. आया प्रश्नगत आराजी का तथाकथित अमरा पुत्र नवा के नाम आवंटन/नियमन को निरस्त कर आवंटन/नियमन को अमरा पुत्र जेता के नाम घोषित कर वादी को विवादित कृषि भूमि का खातेदार घोषित करने की डिक्री ?

यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार वादी पर था। जमांबदी संवत् 2070–2073 में विवादित खसरा संख्या में काश्तकार का नाम लसमा पुत्र अमराराम कौम ग्रासीया सा.देह खातेदार दर्ज है। पटवारी देलदर की जांच एवं मौका फर्द रिपोर्ट में चतरा पुत्र मुंगला के अंगुष्ठ निशान है जबकि साक्ष्य वादी पी डब्ल्यु – 3 चतरा पुत्र मुंगला ने स्वयं बयान दिया कि मै कभी जमीन पर नही गया व पटवारी द्वारा मौके की कोई रिपोर्ट बनाई हो तो मुझे नही मालूम अतः पटवारी हल्का की मौका फर्द रिपोर्ट भी सही प्रतीत नही हो रही है। साक्ष्य वादी पी डब्ल्यु –1 श्री अमरा पुत्र जेता ने बयान दिया कि वह वर्तमान में गांव टुंका का पटेल है व उनके समाज में पटेल की कही गई बातो को सभी को मानना होता है व पटेल की बात नही मानने पर उस पर जुर्माना थोपा जाता है तथा विवादित भूमि बाबत वादी व लसमा के बीच कभी कोई पंचायती नही हुई। साक्ष्य वादी पी डब्ल्यु – 2 चमनाराम पुत्र भारताराम ने बयान दिया कि अमरा पुत्र नवा आज से 20 वर्ष से 30 वर्ष पूर्व खेती कर रहा था यह बात सही है। वादी गांव टुंका का पटेल है अतः गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है तथा उक्त विवादित भूमि पूर्व में उसकी थी यह कही वह साबित नही कर पाया है केवल कब्जे के आधार पर वादी को विवादित कृषि भूमि का खातेदार घोषित करना बाहुबलीवाद को बढ़ावा देना होगा। जो विधिसम्मत नही होगा । अतः यह वाद बिन्दु वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. आया वादी वादग्रस्त भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार वादी पर था। चूंकि वाद बिन्दु 1 वादी के पक्ष में साबित नही हुआ तथा वादी रेकर्ड खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है लेकिन रेकर्ड खातेदार को अपने हक से वंचित रखना न्यायोचित नही है । अतः यह वाद बिन्दु भी वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

3. आया वादी का प्रतिवादी संख्या एक की कृषि भूमि पर कभी भी पिछले 70 वर्षो से अधिक समय से उसके पिता के जीवनकाल से लगातार कब्जा काश्त नहीं रहा ।

यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। प्रतिवादी संख्यां एक ने अपने जवाबदावा में स्वयं कहा कि कुछ वर्ष पूर्व वह पैतृक कृषि भूमि को छोड़कर सहपरिवार गांव काछोली चला गया था उसने वर्ष का स्पष्ट उल्लेख नही किया है। वह अपने दस्तावेजात कथनो व बयानों से कही साबित नही कर पाया कि वादी का विवादित कृषि भूमि पर उसके पिता के जीवनकाल से लगातार कब्जा काश्त नहीं रहा। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

4. आया वादी ने कपोल कल्पित, मनगढ़ंत, मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक की कृषि भूमि हड़प करने के दुराशय से यह वादप्रस्तुत किया है ।

यह वाद बिन्दु साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। वादी व प्रतिवादी के कथनो से यह स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि वादी का कब्जा है। अतः केवल मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक की कृषि भूमि हड़प करने के दुराशय से यह वाद वादी ने प्रस्तुत किया हो यह साबित नही होता है। अतः यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.27 11:45:53 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार तनकीवार निर्णयानुसार तनंकी संख्या 1 व 2 वादी के व तनकी संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। वादी गांव टुंका का पटेल है अतः गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है तथा उक्त विवादित भूमि पूर्व में उसकी थी वादी ने किसी भी ठोस दस्तावेज अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य से यह प्रमाणित नही कराया है केवल कब्जे के आधार पर वादी को विवादित कृषि भूमि का खातेदार घोषित करना बाहुबलीवाद को बढ़ावा देना होगा। जो विधिसम्मत नही होगा । अतः वादी का यह वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19 .10.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कनिष्क कटारिया ,आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanishak Kataria
Date: 2022.10.27 11:45:53 IST
Reason: SelfAttested